30/4/25

सरकार की ओर से APP-I उपस्थित। अप्रार्थी देवी सिंह की ओर से श्री ओमवीर सिंह गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अप्रार्थी देवी सिंह पुत्र गयाप्रसाद जाति गुर्जर नि० सौंधा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-3 गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 अप्रार्थी के विरूद्ध मु०नं० 33/18 एवं मु०नं० 264/18 में अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का उल्लेख करते हुये पेश किया है। उक्त प्रकरण के इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में उक्त अप्रार्थी के विरूद्ध दि० 7/10/22 को धारा-3 गुण्डा नियंत्रण अधि० के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय में मु० नं० 05/22 विचाराधीन है। अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः यह प्रकरण पूर्व प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये निरस्त किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौ० को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

देवी सिंह

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)